



**कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद (म०प्र०)**

पृ०क० 1152/दो-12-5/87

होशंगाबाद, दिनांक 19.08.19

आदेशानुसार, सिस्टम ऑफिसर, होशंगाबाद की ओर माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का पृष्ठांकन क्रमांक डी/4949/जबलपुर दिनांक 05.08.2019 के साथ संलग्न मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 14-7/2016241-2 भोपाल दिनांक 20.06.19 की छायाप्रति जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

जिला रजिस्ट्रार  
सिविल कोर्ट, होशंगाबाद

मध्यप्रदेश शासन  
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 14-7/2016/41-2

गोपाल, दिनांक 20/6/2019

प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर ।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- समस्त संभागायुक्त,
- 5- समस्त जिला कलेक्टर,
- 6- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।

विषय: शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) के प्रमाण पत्र (Score Card) की वैधता अवधि में वृद्धि के संबंध में।

संदर्भ:- विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 20-10-2014

विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/ नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं ।

2/ उक्त निर्देश की कंडिका 5 में कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) के प्रमाण पत्र (Score Card) की वैधता अवधि दो (02) वर्ष निर्धारित की गई है ।

3/ राज्य शासन एतद्वारा कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) के प्रमाण पत्र (Score Card) की वैधता अवधि दो (02) वर्ष के स्थान पर 04 वर्ष निर्धारित की जाती है ।

4/ यह व्यवस्था आदेश जारी होने के दिनांक के पश्चात आयोजित होने वाली परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों (Score Card) पर लागू होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(अजीष रस्तोगी)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ 14-7/2016/41-2

भोपाल, दिनांक 20/8/2019

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव,माननीय राज्यपाल,राजभवन, मध्यप्रदेश,भोपाल ।
  - 2- प्रमुख सचिव,मान.मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
  - 3- माननीय मंत्री जी /राज्यमंत्री के निज सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल ।
  - 4- प्रमुख सचिव(समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल ।
  - 5- अध्यक्ष,म.प्र.व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/ अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल ।
  - 6- महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश , भोपाल ।
  - 7- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय,भोपाल ।
  - 8- रजिस्ट्रार जनरल, मान. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
  - 9- सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश,भोपाल ।
  - 10- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,इन्दौर ।
  - 11- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव राज्य निर्वाचन आयोग,म.प्र.,भोपाल ।
  - 12- महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश ,जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर ।
  - 13- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
  - 14- आयुक्त, जन संपर्क, मध्यप्रदेश ।
  - 15- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम,भोपाल ।
  - 16- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,गैप आई.टी., भोपाल ।
  - 17- मुख्य परिचालन अधिकारी, एम.पी.ऑनलाइन, होशंगाबाद रोड भोपाल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अद्योचित ।



अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

High Court of Madhya Pradesh JABALPUR
23 Aug 2019
Reg No... 17859
Receipt Clerk High Court Jabalpur

RA  
MM  
03.07.